

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

**<sup>1</sup>[Section 49 B : Order of utilisation of input tax credit**

Notwithstanding anything contained in this chapter and subject to the provisions of clause (e) and clause (f) of sub-section (5) of section 49, the Government may, on the recommendations of the Council, prescribe the order and manner of utilisation of the input tax credit on account of integrated tax, central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, towards payment of any such tax.]

---

<sup>1</sup> Inserted “section 49B” vide The CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018) dt. 29/08/2018 w.e.f 30/08/2018.

**<sup>1</sup>[धारा 49ख : इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का आदेश**

इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी और धारा 49 की उपधारा (5) के खंड (ड.) और खंड (च) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार परिषद् की सिफारिशों से यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का, ऐसे कर के संदाय के मद्दें उपयोग किए जाने के आदेश और रीति को विहित कर सकेगी।]

---

**1** सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा धारा 49ख अंतःस्थापित। अधिसूचना 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।